कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक ... 1579 74.

रक्सौल / दिनांक 25/12/22

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:— मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एस०सी०) अन्तर्गत आवंटन निर्गत करने हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय, उपयुक्तं विषयक मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एस०सी०) अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०— पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र। उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) मापी—पुस्त की सत्यापित प्रति। AA का प्रति। विश्वासभाजन

काँग्रेयालाके अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामी प्रमंडल, रक्सौल।

Rural Works Department

MMGSY (SC) Allotment Requisition Under (FDR)

SI. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Sanction		Agreement Value (in Lakh)			Total Expenditur e as per	Value of Measurem ent (in	Current Demand (in Lakh)	Remarks
				Length (in KM)	Amount (in Lakh)	Construction	5 Yrs Mainte nance	Lakh)	MIS (in Lakh)	Lakh)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2014-15	NH-28A Road Murla To Sishbaniya Pokhra	M/S SHIVA CONSTRUCTION	4.573	401.250	349.04349	16.22	342.70676	342.70602	358.85170	16.14568	Work Completed
-	Total										16.14568	

Divisional Account Officer, Rural Works Department, Works Division, Raxaul Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Raxaul

Works Div

FORM GFR 19A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150) Form of Utilisation Certificate up to the month of <u>December-2022</u> MUKHYA MANTRI GRAM SAMPARK YOJANA (SC)

PHI -----

SI. No.	Name of Scheme	Selection No. of Date with Amount (in Rs. In Lacs)	Amount Received (in Rs. In Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY (SC)	BRRDA (HQ) MMGSY (SC)- 101/2014 Part-XVII-218 WE Patna, Dated:- 25-01-2022	725.32805 (By CFMS)	Certified that out of Rs. 725.32805 Lacs received in favour of Executive Engineer, R.WD. Works Division, Raxaul. A sum of Rs. 724.01372 Lacs has been utilised for the purpose of MMGSY (SC) Scheme as given in the margin or whichever sanctioned and that the balance Rs. 1.31433 Lacs remaining unutilised at the end of the period under.

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfiled/ are being fulfiled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction Material have been testes.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works. (i)
- Construction of CD Works. (ii)

Rural Works Department, Works Division, Raxaul

Rural Works Department,

(Works Division, Raxaul

मुख्य अभियंता –3 का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

l/मु०अ०-3,त्त0स्वी०-०७-139/22 710 २१५०

पटना दिनांक:- **५** - 7 - 22

मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता ग्रमीण कार्य विभाग कार्य अंचल मोतिहारी

विषय:-शीर्ष MMGSY अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, रक्सौल के अधीन बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पर्थों के पुनर्भ्यापन हेतु प्राप्त 01 अद्द पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 311 अनु० दिनांक-20.04.2022, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना का पत्रांक-102 अनु0 दिनांक-24.01.2022 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53 / 2007 / 6439 / वि० पटना, दिनांक-28.08.2018

महाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, रक्सौल के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र द्वारा दिये गये मद विचलन की स्वीकृति के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी

स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

SI.	Name	Name of Scheme	Length	Department	A.A.	Revised	FDR	
No.	of Division		(in	Ref Lett.	Amount (in	T.S.	Amount	
			Km)	No./Date	Lakh)	Amount	(in lakh)	
					Construction	(in	(At.	
1.	,				Cost &	Lakh)	Agmt.	
x /					Maintanance	(At.,	Rate)	
P					Cost	Agmt.		
N						Rate)		
X	Raxaul	NH-28A Road Murla To	4.573	4854/ /	401.25	375.20	16.280	
VIV		Sishbaniya Pokhra	/	14.11.2014				
🕽 🔪 निर्माण कार्य MMGSY की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।								

स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।

समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।

अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी

मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।

पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी

मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में अनुमोदन का S.O.R. तैसार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।